

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल (नागौर)
पीठासीन अधिकारी : ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 55/2022


गादी

1. भेराराम पुत्र मालाराम
2. गाडुराम पुत्र कलाराम जातियान जाट निवासीगण तंवरा तहसील जायल जिला नगौर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. दोलाराम पुत्र पनाराम
2. रामेश्वरी पत्नि कलाराम
3. सोहनी पत्नि मालाराम
4. सीता पत्नि सिताराम
5. ज्योति पुत्री सीताराम
6. पवन पुत्र सीताराम
7. महिपाल पुत्र दोलाराम जातियान जाट निवासीगण तंवरा तहसील जायल जिला नगौर
8. ओमप्रकाश पुत्र जोराराम जाति जाट निवासी झोड़ेली तहसील जायल जिला नगौर
9. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जायल



वाद अधीन धारा 53, 88 आर.टी. एक्ट

स्थिति -

1. वादीगण की ओर से श्री गोविन्दराम ढाका एडवोकेट
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 8 की ओर से अधिवक्ता श्री रामप्रकाश बैन्दा

- :: डिक्री आदेश :: -

दि: 26/12/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री वेन्दराम ढाका अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 8 हाजरी श्री प्रकाश बैन्दा अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 9 राज पैरोकार उपस्थित मिनजानिब दायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि-

वादी संख्या 1 भेराराम के हक बंट कब्जे काश्त खातेदारी में मौजा धानणी में खेत खसरा नम्बर 34 रकबा 11.9787 हैक्टेयर में से रकबा 1.4973 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार खातेदारी में घोषित किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
(पदाधारी) नगौर

वादी संख्या 2 गाडूराम के हक बंट कब्जे काश्त खातेदारी में मौजा धानणी में खेत खसरा नम्बर 34 रकबा 11.9787 हैक्टेयर में से रकबा 1.4973 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार व मौजा तंवरा के खसरा नम्बर 215 रकबा 1.3759 हैक्टेयर पूरा खेत रखा खातेदारी में घोषित किया जाता है।
प्रतिवादी संख्या 2 रामेश्वरी के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा धानणी में खेत खसरा नम्बर 34 रकबा 11.9787 हैक्टेयर में से रकबा 1.4973 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार खातेदारी में घोषित किया जाता है।

प्रतिवादी संख्या 4, 5, 6 क्रमशः सीता, ज्योति, पवन के हक बंट कब्जे काश्त सहखातेदारी में मौजा धानणी में खेत खसरा नम्बर 34 रकबा 11.9787 हैक्टेयर में से रकबा 1.4973 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार सहखातेदारी में घोषित किया जाता है।


प्रतिवादी संख्या 7 महिपाल के क बंट कब्जेय काश्त खातेदारी में मौजा धानणी में खेत खसरा नम्बर 34 रकबा 11.9787 हैक्टेयर में से रकबा 2.9946 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार खातेदारी में घोषित किया जाता है।

प्रतिवादी संख्या 8 ओमप्रकाश के हक बंट कब्जे काश्त खातेदारी में मौजा धानणी में खेत खसरा नम्बर 34 रकबा 11.9787 हैक्टेयर में से रकबा 2.9946 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार खातेदारी में घोषित किया जाता है।

वादी संख्या 1 भेराराम व प्रतिवादी संख्या 3, 4, 5, 6 सोहनी, सीता, ज्योति, पवन के हक बंट कब्जे काश्त सहखातेदारी में मौजा तंवरा में खेत खसरा नम्बर 376 रकबा 6.4750 हैक्टेयर यथावत रखा जाकर सहखातेदारी की घोषणा कि जाती है।

प्रतिवादी सं.1 के अराजी भूमि में से बंट नहीं रखने से तथा प्रतिवादी द्वारा अपना हक त्याग करने से प्रकरण पुश्तैनी भूमि का हक त्याग के द्वारा अंतरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी लिये जाने के प्रावधान होने से स्टाम्प ड्यूटी जमा होने पर राजस्व रिकार्ड पर अमल दरमाद की कार्यवाही करे।

तीज - मुबलिंग - बाबत - खर्चा इस मुकदमे के मय व भारह - लाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक - की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर दालत के आज तारीख 26/12/2022 को जारी की गई।



(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

| मुदायराह | रूपया | पैसे | मुदायराह | रूपया | पैसे |
|----------------------|-------|------|-----------------------|-------|------|
| स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प वकालतनामा | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | वजह सबूत महनताना वकील | | |
| महनताना वकील | | | खर्चा गवाहान | | |
| फीस कमिश्नर | | | फीस कमिश्नर | | |
| बाबत इजराज हुक्मनामा | | | बाबत हुराय हुक्मनामा | | |
| मुतफरिक | | | मुतफरिक | | |
| | | | दर0 तलबाना | | |
| मीजान | | | मीजान | | |

नोट :- इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिये।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल